ायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

ा नम्बर 152/2025 | दायर दिनांक–14.07.2025

. सीता देवी पुत्री झाबर जाति माली निवासी बागोरियां की ढाणी तन् चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदिका

– :: बनाम ::–

1. धापू देवी पुत्री झाबर
2. भंवरी देवी पुत्री झाबर
3. सुणी देवी पुत्री झाबर
4. मुखराम पुत्र झाबर जाति माली निवासी भानावाली ढाणी तन् चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
5. परमेश्वरलाल पुत्र लक्ष्मण
6. गिरधारीलाल पुत्र लक्ष्मण (फौत)
   6/1 नानूड़ी देवी पत्नी स्व0 गिरधारीलाल
   6/2 रामनिवास पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/3 रोहिताश पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/4 विनोद पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
   6/5 नानी बाई पुत्री स्व0 गिरधारीलाल
   6/6 प्रेम देवी पत्नी स्व0 राकेश पुत्र स्व0 गिरधारीलाल
7. धुड़ाराम पुत्र कालूराम
8. तेजाराम पुत्र शोभाराम
9. रामचंद्र पुत्र आशाराम
10. बलदेव पुत्र रामू जाति माली निवासी भाना वाली ढाणी तन् चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
12. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील अनावेदकगण :– एकपक्षीय

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 152 सी0पी0सी

–:: आदेश ::–

दिनांक 17.10.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्रतिवादी नं. 4 ने एक दावा बाबत् दुरुस्ती रिकॉर्ड बटवारा जमीन बाबत् प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादीगण ने सहमति प्रदान की थी। उक्त सहमति प्रतिवादीगण द्वारा दिये जाने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का प्राथमिक निर्णय किया गया था। प्राथमिक निर्णय में भी रास्ता छोड़कर बंटवारा किये जाने का आदेश प्रदान किया गया था।

न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय के आदेशानुसार मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.08.2022 की पालना में तैयार किया गया था, जिसके विभाजन प्रस्ताव के कॉलम संख्या (1) में ग्राम बागोरिया की ढाणी के भूमि खसरा नम्बर 2353/514 रकबा [illegible] हैक्टर, व [illegible] 2355/524 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0440 हैक्टर किस्म बारानी [illegible] गै०मु० रास्ता संशोधित किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के कालम सख्या 4 [illegible] है, जिसमें उक्त खसरा नम्बरों में मौके पर रास्ता है, तथा रास्ता दर्शाया गया है। [illegible] प्रस्ताव की रिपोर्ट के मुताबिक जमाबंदी व मौके पर कब्जा अनुसार रास्तो को मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर [illegible] किया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2022 को अन्तिम [illegible] की का निर्णय किया गया, [illegible] न्यायालय द्वारा उक्त वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा, उक्त खसरा नम्बरों में दुरुस्त किंया जाना आवश्यक है, क्योकिं खसरा नम्बरों में मौके पर रास्ता मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

किसी निर्णय डिक्री या आदेश में यदि कोई आकस्मिक भूल के कारण गलत अंकन हो गया हो तो न्यायालय के संज्ञान में आने पर उसकी स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध किया जा सकेगा। अब प्रार्थी को ज्ञान होने पर इसको शुद्ध करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त धारा की मंशा यही है कि ऐसी भूल को किसी भी समय पक्षकार अथवा न्यायालय के संज्ञान में आने पर दुरुस्त किया जा सकता है, जिसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और इस प्रकार की भूल को दुरुस्त करने के लिए दूसरे पक्षकार को भी सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह दुरुस्ती पत्र आकस्मिक भूल की परिभाषा में आती है।

श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांकः 2024/296–97 दिनांक 09.05.2024 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक चिराना द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में तारबन्दी हटाकर मौके पर आवागमन चालू करवाया गया था, उक्त जमीन रास्ते के उपयोग उपभोग में काम में आ रही है, जिसकी नकल प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2022 प्रकरण संख्या 170/2016 में डिक्री के अन्तर्गत ग्राम बागोरिया की ढाणी के भूमि खसरा नम्बर 2353/514 रकबा 0.0240 हैक्टर व खसरा नम्बर 2355/524 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0440 हैक्टर किस्म बारानी के स्थान पर गै०मु० रास्ता संशोधित किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अं0 आ0 152 सीपीसी प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण बावजूद सम्यक तामिल अनु0 न्यायालय रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

बहस एकपक्षीय वकील आवेदक सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि ग्राम बागोरिया की ढाणी में स्थित भूमि ख0 न0 2353/514 रकबा 0.0240 है0 व ख0 नं0 2355/524 रकबा 0.0200 है0 भूमि का पूर्व में वाद के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 28.12.2022 को विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई थी जिसमें सहवन से उक्त भूमि की किस्म गैर0 मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी दर्ज की गई जिसे दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि की किस्म गैर0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप प्रा0 पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अं0 आ0 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बागोरिया की ढाणी के भूमि खसरा नम्बर 2353/514 रकबा 0.0240 हैक्टर व खसरा नम्बर 2355/524 रकबा 0.0200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0440 हैक्टर भूमि की किस्म बारानी के स्थान पर गैर0 मु0 रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:29:47 IST
Reason: SelfAttested